

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर



E-mail ID : rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक:- रास्कूशिष्य/जय/वै.शि./F-35/CSG दिशा-निर्देश/2022-23/ 2909

दिनांक:- 11/7/2022

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2022-23

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2020-21 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत सीएसजी राशि का हस्तान्तरण विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में निर्धारित समयावधि में राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

1) वित्तीय प्रावधान :-

S.No.	Enrollment as per U-DISE 2020-21	Composite School Grant per School
1	1-30	Rs. 10000 (Including atleast Rs. 1000 for Swachhta Action Plan)
2	31-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :- 1) उपरोक्त तालिका की क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।

2) कार्य प्रक्रिया :-

- सर्वप्रथम एसएमसी/एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
- वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
- एसएमसी/एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
- क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
- सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित सन्धारित करें।
- सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) परिषद् कार्यालय को ई-मेल आईडी rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in या smsa.asfe2021@gmail.com पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) के अनुसार प्रेषित करेंगे।

3) विद्यालय स्तर :— कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	दर्ती पट्टी/दर्ती।
2	परीक्षा सम्बन्धी स्टेशनरी।
3	पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा।
4	इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य।
5	प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।
6	श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
7	प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
8	अन्य उपयोज्य सामग्री यथा: झाड़, मटका, बाल्टी, मग आदि।

विशेष –

- परिषद कार्यालय द्वारा गत सत्र में शिक्षक दैनन्दिनी उपलब्ध करवायी गयी है। पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुये इसके सभी पृष्ठों का उपयोग करें।
- सत्र 2022-23 में भी शिक्षकों के उपयोग हेतु शिक्षक दैनन्दिनी उपलब्ध करवायी जायेगी।

4) विद्यालय स्वच्छता एकशन प्लान :— कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एकशन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा :-

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एवं रख-रखाव।
2	शौचालय / मूत्रालयों की साफ-सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
3	शौचालय /मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
4	शौचालय /मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
5	बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्सीनरेटर रिपेयर के लिए।
6	विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
9	चॉक, डस्टर।
10	एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
11	शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
12	छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च।
13	अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
14	शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
15	वार्षिक टूट-फूट, मरम्मत व सोंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
16	विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।

क्रस	कार्यापयोग विवरण
7	बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
8	कक्षा-कक्षों एवं विधालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
9	पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए।
10	सैनेटाईजर, साबुन
11	परिषद कार्यालय आदेश क्रमांक रास्कूशिप/ जय/वैश्वा/2020-21/12925 दिनांक 13.07.2020 के अनुसार कोविड-19 के बचाव हेतु सुरक्षा एवं स्वच्छता पर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

नोट:- उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति-आवश्यक होने पर परिषद की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

4.1) कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाये -

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रुम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो रिखंचवाना।

5) ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

1. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री क्रय में “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :-

1. राज0 स्कूल शिक्षा परिषद से राशि प्राप्त होने के 10 (दस) दिवस में राशि का हस्तान्तरण करवाना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिशः मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की प्राप्त राशि को नामांकन अनुसार विद्यालयों को हस्तान्तरित करना।
3. विद्यालयों को जारी की गयी राशि एवं दिनांक से विद्यालयों को अवगत करवाना ताकि संस्था प्रधान द्वारा का उपयोग यथा समय किया जा सके।
4. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाना।
5. पीईईओ/यूसीईईओ से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
6. जिले का कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

दृष्टान्तम्

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :-

1. जिला कार्यालय से प्राप्त राशि को दस दिवस में ब्लॉक के समस्त विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को हस्तान्तरित करना। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
4. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2022-23 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ/यूसीपीईईओ (सीआरटी) कार्यालय :-

1. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा-निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालयों को जारी राशि के उपयोग की सतत मॉनीटरिंग करना।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 पीईईओ विद्यालय एवं यूसीईईओ के अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :-

- विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
- एसडीएमसी/एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हों तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
- सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वातचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
- वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

10) लेखा सम्बन्धी बिन्दु :-

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पादरीशता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(डॉ मोहन लाल यादव)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- रास्कूलशिष्य/जय/औ.शि./F- 35I /CSG दिशा-निर्देश-2022-23/ 2909

दिनांक : 11/7/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीबीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./सीबीईओ/पीईईओ/यूसीपीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- उपायुक्त, योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त जिला प्रभारी अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त जिला परियोजना समन्वयक / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय।
- कार्यालय उपयोग हेतु।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम यू.डाईस कोड.....
ब्लॉक कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट प्राप्त राशि दिनांक
प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि रु
का उपयोग एसएमसी /एसडीएमसी के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रूपये
का चैक संख्या बैंक शाखा
दिनांक द्वारा वापस मिजवाया जा रहा है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्रजाल		वि.वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय डाइस 2020-21 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति

नोट:- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ ब्लॉक जिला

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	PEEO / UCEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू.डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि	उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	गत सत्रों की अधिशेष राशि	विद्यालय पर शेष संकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 + 9

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (ब्लॉक कार्यालय स्तर) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 हेतु जिला कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में कुल राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल राशि जारी की गयी। राशि जारी करने के पश्चात ब्लॉक कार्यालय पर राशि शेष है।

अतः ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :-

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि उपयोग का विवरण								
क्र. सं.	PEEO / UCEO कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधिशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर सकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
	योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (जिला स्तर) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में जिला को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, कुल माध्यमिक एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

Secondary Composite School Grant (CSG) Budget 2022-23

Sno.	District	(Enrol 1-30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	(Enrol >= 1000)	Fin. in lac per school @1.0 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	0	0.000	8	2.000	109	54.500	397	297.750	11	11.000	525	365.2500
2	ALWAR	1	0.100	45	11.250	304	152.000	443	332.250	2	2.000	795	497.6000
3	BANSWARA	0	0.000	2	0.500	58	29.000	392	294.000	12	12.000	464	335.5000
4	BARAN	0	0.000	2	0.500	111	55.500	194	145.500	2	2.000	309	203.5000
5	BARMER	3	0.300	9	2.250	151	75.500	553	414.750	5	5.000	721	497.8000
6	BHARATPUR	0	0.000	16	4.000	192	96.000	340	255.000	7	7.000	555	362.0000
7	BHILWARA	0	0.000	6	1.500	125	62.500	441	330.750	6	6.000	578	400.7500
8	BIKANER	0	-0.000	8	2.000	81	40.500	348	261.000	10	10.000	447	313.5000
9	BUNDI	0	0.000	2	0.500	68	34.000	202	151.500	3	3.000	275	189.0000
10	CHITTAURGARH	3	0.300	6	1.500	169	84.500	233	174.750	0	0.000	411	261.0500
11	CHURU	1	0.100	15	3.750	195	97.500	295	221.250	7	7.000	513	329.6000
12	DAUSA	0	0.000	8	2.000	140	70.000	231	173.250	6	6.000	385	251.2500
13	DHAULPUR	0	0.000	1	0.250	51	25.500	233	174.750	6	6.000	291	206.5000
14	DUNGARPUR	1	0.100	2	0.500	52	26.000	341	255.750	3	3.000	399	285.3500
15	GANGANAGAR	2	0.200	22	5.500	206	103.000	257	192.750	0	0.000	487	301.4500
16	HANUMANGARH	0	0.000	10	2.500	107	53.500	244	183.000	3	3.000	364	242.0000
17	JAIPUR	1	0.100	63	15.750	407	203.500	498	373.500	17	17.000	986	609.8500
18	JAISALMER	0	0.000	5	1.250	61	30.500	124	93.000	2	2.000	192	126.7500
19	JALOR	0	0.000	1	0.250	62	31.000	331	248.250	2	2.000	396	281.5000
20	JHALAWAR	0	0.000	5	1.250	83	41.500	236	177.000	4	4.000	328	223.7500
21	JHUNJHUNU	4	0.400	81	20.250	278	139.000	165	123.750	2	2.000	530	285.4000
22	JODHPUR	0	0.000	15	3.750	184	92.000	515	386.250	2	2.000	716	484.0000
23	KARAULI	1	0.100	4	1.000	106	53.000	211	158.250	2	2.000	324	214.3500
24	KOTA	1	0.100	5	1.250	119	59.500	193	144.750	3	3.000	321	208.6000
25	NAGAUR	0	0.000	11	2.750	276	138.000	467	350.250	2	2.000	756	493.0000
26	PALI	1	0.100	11	2.750	179	89.500	307	230.250	3	3.000	501	325.6000
27	PRATAPGARH	1	0.100	0	0.000	25	12.500	186	139.500	2	2.000	214	154.1000
28	RAJSAMAND	0	0.000	4	1.000	63	31.500	233	174.750	1	1.000	301	208.2500
29	SAWAI MADHOF	0	0.000	3	0.750	106	53.000	197	147.750	2	2.000	308	203.5000
30	SIKAR	1	0.100	40	10.000	301	150.500	296	222.000	2	2.000	640	384.6000
31	SIROHI	1	0.100	2	0.500	28	14.000	206	154.500	2	2.000	239	171.1000
32	TONK	1	0.100	7	1.750	117	58.500	208	156.000	5	5.000	338	221.3500
33	UDAIPUR	1	0.100	14	3.500	158	79.000	575	431.250	3	3.000	751	516.8500
TOTAL		24	2.400	433	108.250	4672	2336.000	10092	7569.000	139	139.000	15360	10154.6500

Elementary Composite School Grant (CSG) Budget 2022-23

Sno.	District	(Enrol 1-30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	253	25.300	625	156.250	427	213.500	29	21.750	1334	416.8000
2	ALWAR	390	39.000	1019	254.750	571	285.500	54	40.500	2034	619.7500
3	BANSWARA	815	81.500	1390	347.500	463	231.500	65	48.750	2733	709.2500
4	BARAN	534	53.400	531	132.750	210	105.000	7	5.250	1282	296.4000
5	BARMER	1100	110.000	2129	532.250	825	412.500	37	27.750	4091	1082.5000
6	BHARATPUR	176	17.600	637	159.250	352	176.000	36	27.000	1201	379.8500
7	BHILWARA	524	52.400	1159	289.750	613	306.500	15	11.250	2311	659.9000
8	BIKANER	591	59.100	684	171.000	288	144.000	31	23.250	1594	397.3500
9	BUNDI	224	22.400	514	128.500	231	115.500	6	4.500	975	270.9000
10	CHITTAURGARH	348	34.800	718	179.500	337	168.500	2	1.500	1405	384.3000
11	CHURU	227	22.700	383	95.750	271	135.500	15	11.250	896	265.2000
12	DAUSA	387	38.700	559	139.750	236	118.000	2	1.500	1184	297.9500
13	DHAULPUR	116	11.600	412	103.000	277	138.500	44	33.000	849	286.1000
14	DUNGARPUR	758	75.800	1109	277.250	378	189.000	29	21.750	2274	563.8000
15	GANGANAGAR	682	68.200	577	144.250	196	98.000	1	0.750	1456	311.2000
16	HANUMANGARH	218	21.800	310	77.500	196	98.000	6	4.500	730	201.8000
17	JAIPUR	1074	107.400	1233	308.250	433	216.500	27	20.250	2767	652.4000
18	JAISALMER	442	44.200	471	117.750	176	88.000	7	5.250	1096	255.2000
19	JALOR	235	23.500	801	200.250	391	195.500	55	41.250	1482	460.5000
20	JHALAWAR	348	34.800	675	168.750	331	165.500	7	5.250	1361	374.3000
21	JHUNJHUNU	522	52.200	412	103.000	74	37.000	2	1.500	1010	193.7000
22	JODHPUR	1006	100.600	1336	334.000	472	236.000	25	18.750	2839	689.3500
23	KARAULI	326	32.600	546	136.500	234	117.000	13	9.750	1119	295.8500
24	KOTA	210	21.000	375	93.750	185	92.500	5	3.750	775	211.0000
25	NAGAUR	896	89.600	911	227.750	475	237.500	10	7.500	2292	562.3500
26	PALI	318	31.800	613	153.250	382	191.000	27	20.250	1340	396.3000
27	PRATAPGARH (RAJ.)	548	54.800	685	171.250	259	129.500	17	12.750	1509	368.3000
28	RAJSAMAND	312	31.200	761	190.250	336	168.000	11	8.250	1420	397.7000
29	SAWAI MADHOPUR	165	16.500	426	106.500	183	91.500	6	4.500	780	219.0000
30	SIKAR	535	53.500	600	150.000	208	104.000	4	3.000	1347	310.5000
31	SIROHI	141	14.100	347	86.750	248	124.000	24	18.000	760	242.8500
32	TONK	446	44.600	526	131.500	194	97.000	1	0.750	1167	273.8500
33	UDAIPUR	1003	100.300	1899	474.750	709	354.500	71	53.250	3682	982.8000
	Grand Total	15870	1587.000	25373	6343.250	11161	5580.500	691	518.250	53095	14029.0000

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail ID- rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक:- राज्यशिष्ट/जय/AS&FE/F-39/^{II} /CRC Grant दिशा-निर्देश/2022-23/ २९०७

दिनांक:- ११८/२०२२

संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) दिशा निर्देश

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) के कार्यालयी कार्यों के सफल संचालन हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह-शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे। समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

प्रति CRC (PEEO /UCEEO)			
कन्टेन्सी	मीटिंग एवं टीए	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट
25,000	5,000	2,000	1,000

समग्र शिक्षा अन्तर्गत सत्र 2022-23 में 10259 सीआरसी के लिये प्रावधित बजट राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं -

- कन्टेन्सी ग्रान्ट से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, आरटीई पोर्टल, शाला सिंद्हि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ वही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविस्ति की जायेगी।**
- मीटिंग, टी.ए ग्रान्ट्स** द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्वयन हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।
- टीएलएम ग्रान्ट से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किया जाकर सीआरसी स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।**
- मोबिलिटी सपोर्ट ग्रान्ट** - इसका उपयोग सीआरसी विद्यालय के संस्था-प्रधान अपने अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा। अधीनस्थ विद्यालयों की मॉनीटरिंग / समीक्षा के दौरान किये जाने वाले कार्य - कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना। मीड-डे मिल की मासिक समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना। एसएमएसी की बैठक आयोजन की स्थिति की समीक्षा/मानीटरिंग करना। सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्र हेतु कार्ययोजना बनवाकर क्रियान्वयन करना।
- सीआरसी के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक अधीनस्थ विद्यालय की मॉनीटरिंग हेतु प्रति सीआरसी रूपये 1,000/- मोबिलिटी सपोर्ट ग्रान्ट के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है।**

B) मॉनीटरिंग -

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ क्रेन्ड अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2022-23 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनीटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
- जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।

C) राशि उपयोग हेतु लेखा सम्बन्धी सामान्य निर्देश -

- सीआरसी ग्रान्ट की राशि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को हस्तान्तरित की जायेगी तत्पश्चात् सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
- परिषद् कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात् जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
- राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरता: पालना सुनिश्चित की जावे।
- मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक राशि उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूली की जाएगी।
- जिन सीआरसी के अधीनस्थ वर्तमान में एक भी विद्यालय नहीं है, उन्हें मीटिंग / टीएल एवं मोबिलिटी सपोर्ट की राशि जारी नहीं की जानी है।
- सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र-3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
- जिला / ब्लॉक / संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर राशि का समायोजन लेखा नियमानुसार करवायें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(डॉ मोहन लाल यादव)
आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक: रास्कूशीप/जय/AS&FE/CRC Grant/2022-23/ २९०८

दिनांक: ११/७/२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक () एवं (), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- नियंत्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद् कार्यालय, जयपुर।
- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद् कार्यालय, जयपुर।
- समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद् कार्यालय, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
- समस्त पीईईओ एवं शहरी यूसीईईओ (सीआरसी)।
- संक्षिप्त प्रति।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

प्रपत्र -1

ब्लॉक

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का नाम

जिला

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में प्राप्त संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) राशि रु. का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि..... है एवं उपयोग पश्चात रूपये शेष है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि				शेष राशि			
		कन्टेन्जन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
प्रभारी सीआरसी

प्रपत्र -2

कार्यालय ब्लॉक

जिला

ब्लॉक स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC को सत्र 2022-23 में कन्टेन्जन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मोबिलिटी सपोर्ट हेतु प्राप्त राशि रु. का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या पर इन्ड्राज कर लिया है। ब्लॉक कार्यालय को प्राप्त कुल राशि में से व्यय की गई राशि पश्चात राशि बचत के रूप में शेष है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि				शेष राशि			
		कन्टेन्जन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
बीआरसी/ CBEO

प्रपत्र -3

जिला

जिला स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये में से जिले की कुल सीआरसी को राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। जिले को प्राप्त कुल राशि में से ब्लॉक कार्यालयों द्वारा व्यय की गई राशि पश्चात राशि बचत के रूप में शेष है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर

सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर

सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर

जिला परियोजना समन्वयक

CRCs Grant for 2022-23

S.No.	District	Contingency Grant @ 0.15 (Rs. in lacs)		Meeting, TA @0.05 (Rs. in lacs)		TLM @0.01 (Rs. in lacs)		Mobility Support @0.01 (Rs. in lacs)		Total Financial
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
1	AJMER	303	45.4500	303	15.1500	303	3.0300	303	3.0300	66.6600
2	ALWAR	527	79.0500	527	26.3500	527	5.2700	527	5.2700	115.9400
3	BANSWARA	350	52.5000	350	17.5000	350	3.5000	350	3.5000	77.0000
4	BARAN	227	34.0500	227	11.3500	227	2.2700	227	2.2700	49.9400
5	BARMER	494	74.1000	494	24.7000	494	4.9400	494	4.9400	108.6800
6	BHARATPUR	388	58.2000	388	19.4000	388	3.8800	388	3.8800	85.3600
7	BHILWARA	399	59.8500	399	19.9500	399	3.9900	399	3.9900	87.7800
8	BIKANER	303	45.4500	303	15.1500	303	3.0300	303	3.0300	66.6600
9	BUNDI	193	28.9500	193	9.6500	193	1.9300	193	1.9300	42.4600
10	CHITTAURGARH	299	44.8500	299	14.9500	299	2.9900	299	2.9900	65.7800
11	CHURU	268	40.2000	268	13.4000	268	2.6800	268	2.6800	58.9600
12	DAUSA	239	35.8500	239	11.9500	239	2.3900	239	2.3900	52.5800
13	DHAULPUR	176	26.4000	176	8.8000	176	1.7600	176	1.7600	38.7200
14	DUNGARPUR	296	44.4000	296	14.8000	296	2.9600	296	2.9600	65.1200
15	GANGANAGAR	348	52.2000	348	17.4000	348	3.4800	348	3.4800	76.5600
16	HANUMANGARH	260	39.0000	260	13.0000	260	2.6000	260	2.6000	57.2000
17	JAIPUR	583	87.4500	583	29.1500	583	5.8300	583	5.8300	128.2600
18	JAISALMER	144	21.6000	144	7.2000	144	1.4400	144	1.4400	31.6800
19	JALOR	280	42.0000	280	14.0000	280	2.8000	280	2.8000	61.6000
20	JHALAWAR	259	38.8500	259	12.9500	259	2.5900	259	2.5900	56.9800
21	JHUNJHUNU	313	46.9500	313	15.6500	313	3.1300	313	3.1300	68.8600
22	JODHPUR	488	73.2000	488	24.4000	488	4.8800	488	4.8800	107.3600
23	KARAULI	233	34.9500	233	11.6500	233	2.3300	233	2.3300	51.2600
24	KOTA	175	26.2500	175	8.7500	175	1.7500	175	1.7500	38.5000
25	NAGAUR	479	71.8500	479	23.9500	479	4.7900	479	4.7900	105.3800
26	PALI	335	50.2500	335	16.7500	335	3.3500	335	3.3500	73.7000
27	PRATAPGARH	168	25.2000	168	8.4000	168	1.6800	168	1.6800	36.9600
28	RAJSAMAND	213	31.9500	213	10.6500	213	2.1300	213	2.1300	46.8600
29	SAWAI MADHOPUR	203	30.4500	203	10.1500	203	2.0300	203	2.0300	44.6600
30	SIKAR	353	52.9500	353	17.6500	353	3.5300	353	3.5300	77.6600
31	SIROHI	168	25.2000	168	8.4000	168	1.6800	168	1.6800	36.9600
32	TONK	239	35.8500	239	11.9500	239	2.3900	239	2.3900	52.5800
33	UDAIPUR	556	83.4000	556	27.8000	556	5.5600	556	5.5600	122.3200
TOTAL		10259	1538.8500	10259	512.9500	10259	102.5900	10259	102.5900	2256.9800

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail ID – rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/औ.शि./दिशा-निर्देश/BRC/2022-23/ 2908

दिनांक:- 11/7/2022

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant) दिशा-निर्देश सत्र 2022-23

उद्देश्यः-

कार्यालयी कार्य को गति देने एवं प्रभावी बनाने की शृंखला में शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों पर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों की सफल व्यवस्थाओं निर्बाध संचालन हेतु समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में 57 नवीन ब्लॉक्स के साथ कुल 358 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु बीआरसी ग्रांट का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के दायित्वों का निर्वहन करेंगे व ब्लॉक क्षेत्र में समग्र शिक्षा के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियाचयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार बीआरसीएफ के कार्य में सहयोग करेंगे। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में कुल 358 बीआरसी हेतु कुल 222.6900 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया है।

1) वित्तीय प्रावधान - जिलावार स्वीकृत राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

कर्नेजेन्सी	मीटिंग, टीए	टीएलएम	मैन्टीनेंस	कुल बजट
30,000	25,000	3,000	5,000	63,000

2) वित्तीय व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार है -

- कर्नेजेन्सी ग्रांट** में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, आरटीई पोर्टल इत्यादि संबंधी खर्च एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्ड्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- मीटिंग, टी.ए ग्रांट्स** में से मीटिंग में उपस्थित होने पर अल्पहार का भुगतान आहरण कर सकेंगे। बीआरसी सूचना प्राप्त करने, मॉनीटरिंग के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग, टी.ए. मद में किया जावेगा।
- टीएलएम ग्रांट** में से बीआरसी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने हेतु टीएलएम राशि का उपयोग करेगा तथा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शैक्षिक सम्बलन में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण किया जा सकेगा।
- मैन्टीनेंस ग्रांट** में से बीआरसी कार्यालय की छोटी-मोटी मरम्मत/रख-रखाव, रंगाई-पुताई इत्यादि के कार्य हेतु राशि का उपयोग लिया जा सकेगा। 57 ब्लॉक नवीन होने के कारण इनके लिये इस वर्ष में बजट का प्रावधान नहीं है।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा; ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान (BRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2022-23 समस्त ब्लॉक कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।

3) मॉनीटरिंग :-

- ब्लॉक कार्यालयों को जारी की जाने वाली राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किये जानी की जांच / निरीक्षण हेतु जिला स्तर के अधिकारी माह में एक बार ब्लॉक कार्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
- राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा जिले में गतिविधियों की मॉनीटरिंग के दौरान ब्लॉक कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता को इस राशि के उपयोग एवं बचत की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
- जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय सत्र की समाप्ति पूर्व समस्त ब्लॉक से राशि उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा संकलित सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

4) विशेष -

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

5) उपयोगिता प्रमाण पत्र -

- सीबीईओ कार्यालय से प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(डॉ० मोहन लाल यादव)

आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/वै.शि./2022-23/ 2908

दिनांक: 11/7/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज० सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज०, बीकानेर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- नियंत्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
- समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।
- रक्षित प्रति।

अति० राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

प्रपत्र -1

कार्यालय ब्लॉक

जिला

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि BRC को सत्र 2022-23 में कन्टेनर्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मेन्टीनेन्स हेतु प्राप्त राशि रु. एवं पूर्व अवशेष राशि रूपये कुल राशि रूपये का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या पर इन्द्राज कर लिया है। ब्लॉक कार्यालय को प्राप्त कुल राशि में से व्यय की गई राशि पश्चात राशि बचत के रूप में शेष है, जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संख्या दिनांक अनुसार वापिस भिजवाया जा रहा है।

वर्ष	गत सत्र की बचत राशि	प्राप्त राशि				खर्च की गई राशि				उपयोग पश्चात शेष राशि			
		कन्टेनर्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेन्स	कन्टेनर्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेन्स	कन्टेनर्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेन्स
2021-22													
2022-23													

हस्ताक्षर

बीआरसी प्रभारी/ CBEO

प्रपत्र -2

जिला

जिला स्तरीय ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये में से जिले की कुल बीआरसी को राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। जिले को प्राप्त कुल राशि में से ब्लॉक कार्यालयों द्वारा व्यय की गई राशि पश्चात राशि बचत के रूप में शेष है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर

सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी

हस्ताक्षर

सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर

जिला परियोजना समन्वयक

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है :-

S.No.	District Name	BCR Grant									
		Contingency Grant @0.3 (in lacs)		Meeting, TA @0.25 (in lacs)		TLM @0.03 (in lacs)		Maintenance Grant @0.05 (in lacs)		Total	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	AJMER	11	3.3000	11	2.7500	11	0.3300	9	0.4500	11	6.8300
2	ALWAR	16	4.8000	16	4.0000	16	0.4800	14	0.7000	16	9.9800
3	BANSWARA	11	3.3000	11	2.7500	11	0.3300	11	0.5500	11	6.9300
4	BARAN	8	2.4000	8	2.0000	8	0.2400	7	0.3500	8	4.9900
5	BARMER	21	6.3000	21	5.2500	21	0.6300	17	0.8500	21	13.0300
6	BHARATPUR	12	3.6000	12	3.0000	12	0.3600	10	0.5000	12	7.4600
7	BHILWARA	14	4.2000	14	3.5000	14	0.4200	12	0.6000	14	8.7200
8	BIKANER	9	2.7000	9	2.2500	9	0.2700	7	0.3500	9	5.5700
9	BUNDI	5	1.5000	5	1.2500	5	0.1500	5	0.2500	5	3.1500
10	CHITTAURGARH	11	3.3000	11	2.7500	11	0.3300	11	0.5500	11	6.9300
11	CHURU	7	2.1000	7	1.7500	7	0.2100	7	0.3500	7	4.4100
12	DAUSA	11	3.3000	11	2.7500	11	0.3300	6	0.3000	11	6.6800
13	DHAULPUR	6	1.8000	6	1.5000	6	0.1800	5	0.2500	6	3.7300
14	DUNGARPUR	10	3.0000	10	2.5000	10	0.3000	10	0.5000	10	6.3000
15	GANGANAGAR	9	2.7000	9	2.2500	9	0.2700	9	0.4500	9	5.6700
16	HANUMANGARH	7	2.1000	7	1.7500	7	0.2100	7	0.3500	7	4.4100
17	JAIPUR	26	7.8000	26	6.5000	26	0.7800	19	0.9500	26	16.0300
18	JAISALMER	7	2.1000	7	1.7500	7	0.2100	3	0.1500	7	4.2100
19	JALOR	10	3.0000	10	2.5000	10	0.3000	8	0.4000	10	6.2000
20	JHALAWAR	8	2.4000	8	2.0000	8	0.2400	8	0.4000	8	5.0400
21	JHUNJHUNU	11	3.3000	11	2.7500	11	0.3300	8	0.4000	11	6.7800
22	JODHPUR	22	6.6000	22	5.5000	22	0.6600	17	0.8500	22	13.6100
23	KARAULI	8	2.4000	8	2.0000	8	0.2400	6	0.3000	8	4.9400
24	KOTA	6	1.8000	6	1.5000	6	0.1800	6	0.3000	6	3.7800
25	NAGAUR	15	4.5000	15	3.7500	15	0.4500	14	0.7000	15	9.4000
26	PALI	10	3.0000	10	2.5000	10	0.3000	10	0.5000	10	6.3000
27	PRATAPGARH	8	2.4000	8	2.0000	8	0.2400	5	0.2500	8	4.8900
28	RAJSAMAND	8	2.4000	8	2.0000	8	0.2400	7	0.3500	8	4.9900
29	SAWAI MADHOPUR	7	2.1000	7	1.7500	7	0.2100	6	0.3000	7	4.3600
30	SIKAR	12	3.6000	12	3.0000	12	0.3600	9	0.4500	12	7.4100
31	SIROHI	5	1.5000	5	1.2500	5	0.1500	5	0.2500	5	3.1500
32	TONK	7	2.1000	7	1.7500	7	0.2100	6	0.3000	7	4.3600
33	UDAIPUR	20	6.0000	20	5.0000	20	0.6000	17	0.8500	20	12.4500
	Total	358	107.4000	358	89.5000	358	10.7400	301	15.0500	358	222.6900

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2022-23 / **२९१४**

दिनांक : **११/७/२०२२**

दिशा-निर्देश (सत्र 2022-23)

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु परिवहन भत्ता (Transport Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थेरेपेटिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2022-23 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को विद्यालय आवागमन हेतु परिवहन भत्ता देय होता है। सत्र 2022-23 में परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:-

- **श्रेणी :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित बालक-बालिकायें जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** ₹500/-प्रति माह
- परिवहन भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2022 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

- प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1. डीपीसी	-	अध्यक्ष
2. एडीपीसी	-	सदस्य सचिव
3. एपीसी / पीओ (समावेशी शिक्षा)	-	सदस्य
4. सहायक लेखाधिकारी	-	सदस्य
5. संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	-	सदस्य
- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालक-बालिकाओं का चयन कर परिवहन भत्ता जारी किए जाने की अनुशंसा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक-बालिकाओं हेतु 10 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ता का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2022	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2022	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2023	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल (4 माह)

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक-बालिकाओं को परिवहन भत्ता (Transport Allowance) की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालक-बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को आंवटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा की उपमद "Transport Allowance" आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक-बालिकाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिका-बालिकाओं को लाभ मिल सके।
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक-बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी अनुभाग को भिजवाएं।
- परिवहन भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

- परिवहन भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक-बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बन्धित बालक-बालिकाओं के बैंक खाते में परिवहन भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की आवश्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- पात्र CwSN बालक-बालिकाओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक-बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से विलक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सब्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

३०/५/२०२२

(डॉ. मोहन लाल यादव)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक : ११/७/२०२२

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2022-23 / २९१५

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

५१

अति. राज्य परियोजना निदेशक



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र

आजादी का
अमृत महोत्सव

1. नाम बालक/बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि..... कक्षा.....
4. स्थानीय पता.....
5. एस.आर. न0..... दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. नोडल / पीईईओ..... ब्लॉक.....
7. विद्यालय..... डाईस कोड.....
8. घर से विद्यालय की दूरी.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....
10. खाता संख्या..... IFSC Code.....
11. बैंक का नाम.....
12. वाहन का प्रकार (यदि कोई हो) जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
13. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम.....
14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि.....
15. क्या बालक-बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया एवं ले जाया जाता है

फोटो

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं
बालक/बालिका..... उक्त विद्यालय की कक्षा..... में
अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को परिवहन भत्ते हेतु ₹..... प्रतिमाह भत्ता
प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा.....
पुत्र/पुत्री श्री..... विद्यालय..... को
परिवहन भत्ते ₹..... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2022-23/2925

दिनांक : ११/९/२०२२

दिशा-निर्देश

(सत्र 2022-23)

विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2022-23 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for Girls) देय होता है। सत्र 2022-23 में स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:-

- **श्रेणी :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स देय होगा।
- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाएं जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित हैं तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls) देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** ₹200/- प्रति माह
- **स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls)** प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2022 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/संरथा प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	-	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	-	सदस्य सचिव
3.	एपीसी/पीओ (समावेशी शिक्षा)	-	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	-	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	-	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालिकाओं का चयन कर स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स जारी किए जाने की तत्काल अनुशंसा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालिकाओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।
- स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स (Stipend for girls) का भुगतान प्रतिमाह विधिवत तत्काल जारी किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा की उपमद "Stipend for girls" आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्ते का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालिकाओं की प्रमाणीकरण करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिकाओं को इसका लाभ मिल सके।
- जिले की पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स दिया जाना है परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ को भिजवायें। अन्यथा संबंधित जिला परियोजना समन्वयक जिम्मेदार होंगे।
- स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणीकरण उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा संबंधित बालिकाओं के बैंक खाते में स्टाईपेन्ड फॉर गर्ल्स जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।

- पत्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं की तथा उनको देय स्टाईपेन्ड फॉर गल्स की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद स्टाईपेन्ड फॉर गल्स वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से किलक करें अन्यथा दिये जाने वाले स्टाईपेन्ड फॉर गल्स की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
 - व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 - राशि का उपयोग योजना के दिशा—निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- नोट:-** गतिविधि की प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. मोहन लाल यादव)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक : ११ अगस्त २०२२

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2022-23/ २९२५

प्रतिलिपि :—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक

३



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु

आवेदन पत्र

1. नाम बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. जन्म तिथि..... कक्षा.....
5. स्थानीय पता.....
6. मोबाइल नं.....
7. ब्लॉक.....
8. विद्यालय..... डाईस कोड.....
9. श्रेणी
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र.....
11. आधार कार्ड नम्बर.....
12. बैंक का नाम.....
13. खाता संख्या..... IFSC Code.....
14. क्या बालिका का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा है। हाँ / नहीं

फोटो

हस्ताक्षर अभिभावक

40 छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालिका....

.....उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है
तथा उक्त बालक/बालिका को स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु ₹.....प्रतिमाह
भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्रा.....पुत्री

श्री.....विद्यालय.....को स्टाईपेन्ड
भत्ता (Stipend for Girls) ₹प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2022-23 / **२९२६**

दिनांक : ११/७/२०२२

दिशा-निर्देश (सत्र 2022-23)

रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low Vision)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2022-23 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत दृष्टिदोष से प्रभावित CwSN बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) देय होता है। सत्र 2022-23 में रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:-

- **श्रेणी :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता में से दृष्टिदोष (Blindness and Low Vision) से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) देय है।
- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित विकलांगता में से दृष्टिबाधित (Blindness and Low Vision) श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित CwSN बालक-बालिकाओं को जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** ₹250/- प्रति माह
- **रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision)** प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2022 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- **प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।**

1.	डीपीसी	-	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	-	सदस्य सचिव
3.	एपीसी/पीओ (समावेशी शिक्षा)	-	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	-	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	-	सदस्य

१


- उक्त कमेटी समर्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समर्त पात्र बालक-बालिकाओं का चयन कर रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) जारी किए जाने की अनुशंसा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक-बालिकाओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा रीडर भत्ता का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2022	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2022	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2023	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल (4 माह)

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालक-बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा की उपमद "Reader Allowance- For only VI and Low vision" में आवंटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक-बालिकाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिका-बालिकाओं को लाभ मिल सके।
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक-बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) मद में जिले को आवंटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणीकरण कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक-बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा संबंधित बालक-बालिकाओं के बैंक खाते में रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण




2

पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ एवं पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।

- समस्त व्यवस्था पात्र बालक-बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- पात्र CWSN बालक-बालिकाओं की तथा उनको देय रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) की सूचना PRABANDH portal पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक-बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से विलक करें अन्यथा दिये जाने वाले रीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low vision) की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-


1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
 2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 3. राशि का उपयोग योजना के दिशा—निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।


(डॉ. मोहन लाल यादव)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त
दिनांक : ११ अगस्त २०२२

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2022-23/ २९२६

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।


अति. राज्य परियोजना निदेशक




राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

आजादी का
अमृत महोत्सव

टीडर भत्ता (Reader Allowance- For only VI and Low Vision) हेतु आवेदन पत्र

1. नाम बालक/बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि..... कक्षा.....
4. स्थानीय पता.....
5. एस.आर. न0..... दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. नोडल..... ब्लॉक.....
7. विद्यालय..... डाईस कोड.....
8. घर से विद्यालय की दूरी.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र.....
11. खाता संख्या..... IFSC Code.....
12. बैंक का नाम.....
13. क्या बालक-बालिका का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है.....



हस्ताक्षर अभिभावक

हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान/
छात्र/छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं
बालक/बालिका..... उक्त विद्यालय की कक्षा..... में
अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को रीडर भत्ते हेतु ₹..... प्रतिमाह भत्ते
प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा.....
पुत्र/पुत्री श्री..... विद्यालय..... को
रीडर भत्ता ₹..... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....

शैक्षिक समाचार
राजस्थान



शैक्षिक समाचार
राजस्थान

